तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/12/2022	अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध राजस्व वाद व टी आई खसरा संख्या 1170, 1172, 1174, 1176, 1412 का पेश कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 1176 को रेस्पोडेण्ट बेचान करने हेतु आमादा है। मौके की स्थिति में परिवर्तन करना चाहते है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजर अंदाज कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया। रेस्पोडेण्ट रजनी पंवार के पक्ष में दिनांक 14.07.78 को बेचान पंजीयन के जरिये म्युटेशन स्वीकृत किया गया। उक्त म्युटेशन संख्या 595 है। इस म्युटेशन के जरिये खसरा संख्या 1176 का म्युटेशन स्वीकृत किया गया। परन्तु पंजीयन बेचान में खसरा संख्या 1176 का बेचान ही नहीं हुआ। इस कारण से रजनी पंवार का म्यूटेशन अवैध है। इस खसरे में रेस्पोडेण्ट का नाम दर्ज होने से उक्त कृषि भूमि का हस्तातंरण रेस्पोडेण्ट करने हेतु आमादा है व अकृषि कार्य कर प्लोटिंग करना चाहते है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त फरमाया जावे। तथा रेस्पोडेण्ट को वादग्रस्त आराजी बाबत मौके व रेकर्ड की यथास्थिति रखने हेतु पाबन्द करे। अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 26.10.2017 में अंकित किया है कि– "प्रतिवादी रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध बिना सुने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझते है। तथा वकील सायल का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।" अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में किसी प्रकार की विधिक प्रावधानों की अवहेलना किया जाना प्रदर्शित नहीं होता है। अपीलाण्ट की ओर से जो तथ्य हमारे समक्ष उठाये गये है उन तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट के जवाब पेश होने के पश्चात भी उठाया जा सकता है।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

परिणामतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। सहायक कलेक्टर बाली को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर उक्त प्रकरण का दो माह के अन्दर विधि अनुसार अंतिम निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली